155

संख्या —— /XXIV(6)/2014/31(4)12

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त नियंत्रक,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक: 27 अगस्त, 2014

विषय: **कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शिक्षकों के सामान्य भविष्य निधि (जी0पी0एफ0) खातें में जमा धनराशि पर ब्याज हेतु अनुदान स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक: लेखा/जीपीएफ/2013–14/158 दिनांक: 22.07.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें जी0पी0एफ0 खातों पर वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए ब्याज हेतु अनुदान स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शिक्षकों के सामान्य भविष्य निधि (जी0पी0एफ0) खातों में जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज ₹ 4,43,13,109.00/– **(₹ चार करोड़ तैतालीस लाख तिरपन हजार एक सौ नौ मात्र)** की धनराशि, जिसका आहरण नगद न कर, पुस्तक समायोजन के माध्यम से संबंधित कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि खाते मे जमा करने की निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

3– स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि के व्यय पर जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने के उपरांत राजकीय कोषागार, नैनीताल को प्रस्तुत किया जाएगा।

4– विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जबकि गत वित्तीय वर्ष/वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर लिया गया हो तथा कोई भी धनराशि अवशेष न हो। धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।

5– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय,

6– इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 अध्याय–16–ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।

7– इस अनुदान का उपयोग शासन द्वारा अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। किसी भी दशा में एक मद की धनराशि दूसरे मद में व्यय कदापि न की जाये अन्यथा की स्थिति मे सक्षम प्राधिकारी का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा। जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाय, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या/मद का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय, स्वीकृत धनराशि का व्ययावर्तन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।

8– यह सुनिश्चित किया जाएगा कि (वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के पैरा–162) समस्त आहरित अग्रिमों का समायोजन आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा 30 दिनों के अन्दर कर दिया जाय तथा डीटेल्ड कन्टीजेन्ट (डी0सी0) बिल महालेखाकार को भेज दिए जाय। विभिन्न अग्रिमों का आहरण अधिकारों के प्रतिनिधायन 2010 में दी गई सीमाओं के अनुसार ही किया जाय।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 52(NP)/XXVII(3)/2014-15 दिनांक: 21 अगस्त, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति एवं www.cts.uk.gov.in से साफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत **विशिष्ट एलॉटमेंट** आई0डी0संख्या- HI408071844 **(प्रति संलग्न)** द्वारा निर्गत किए जा रहे है।

10– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या–7 के लेखा शीर्षक–2049–ब्याज अदायगियां–60–अन्य दायित्वों पर ब्याज–101–जमाओं पर ब्याज (भारित)–03–कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज (ट्रेजरी पी0एल0ए0में) अवशेष–00–32–ब्याज/लाभांश की सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या: *1081/XXIV(6)/2014/31(4)12* तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
3. कुलपति, कुमांऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल।
5. कोषाधिकारी, नैनीताल।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, उत्तराखण्ड।
9. निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री।
10. वित्त अनुभाग–3, वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
11. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
उप सचिव।